

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प.5(1) मं.मं./2014

जयपुर, दिनांक

13/6/18

आज्ञा

मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित चामुण्डा माता मन्दिर में दिनांक 30 सितम्बर, 2008 को हुई भगदड़ के कारणों एवं अन्य समस्त पहलुओं की जाँच हेतु आदेश क्रमांक प.32(2)गृह-9/2008 दिनांक 02-10-2008 द्वारा न्यायाधीश श्री जसराज चौपड़ा (सेवानिवृत्त), राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन गठित जाँच आयोग द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण करने एवं अपनी अभिशंषा मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत करने हेतु इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.04.2018 द्वारा एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया।

उक्त मंत्रिमण्डलीय उप समिति को एक माह में, अपनी अभिशंषायें मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत करनी थी, के कार्यकाल में एतद्वारा तीन माह की और अभिवृद्धि की जाती है।


राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(अनिल कुमार गुप्ता)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित मंत्रिगण।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव